न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2040--तीन/2002 विरूध्द आदेश दिनांक 29–06–02 पारित अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 269/2000–01 अपील.

1– पुष्पाबाई पत्नी स्व0 मदनसिंह–मृत(नाम विलोपित)
2– भंवरसिंह पुत्र स्व0 मदनसिंह
3– सत्यनारायण पुत्र स्व0 मदनसिंह
4– ब्रजराजसिंह पुत्र स्व0 मदनसिंह
5– लाखनसिंह पुत्र स्व0 मदनसिंह
सभी निवासी श्योपुरकंला, म0प्र0
6– भंवरबाई पत्नी शंभूसिंह
नि0 कोटा, राजस्थान

--- आवेदकगण

विरूध्द

1– पटवारी मौजा दौलतपुरा
2– तहसीलदार, श्योपुर
3– शंभूसिंह पुत्र नाथूसिंह ठाकुर
नि0 श्योपुरकंला, म0प्र0

--- अनावेदकगण

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक – आवेदकगण
श्रीमती रजनी वशिष्ठ, पैनल अभिभाषक– अनावेदक क0–1 व 2

आदेश

(आज दिनांक 13 मई, 2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के अपील प्रकरण कमांक 269/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 29–06–02 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि मदनसिंह पुत्र नाथूसिंह ने इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम दौलतपुर पर0 श्योपुर की भूमि

भूमि कंमाक 145 रकबा 38 बीघा 1 विस्वा मंदिर पुख्ता श्री दाउजी बाके कस्वा श्योपुर के नाम दर्ज है जिस पर आवेदक तथा अनावेदक शम्भूसिंह अपने बुजुर्गो के समय से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त भूमि पर सवत 2038 तक आवेदक मदनसिंह तथा अनावेदक शंभूसिंह के पिता नाथूसिंह का कब्जे का इन्द्राज अंकित है, किन्तु संवत 2039 में पटवारी ने कागजात में से आवेदक व अनावेदक को बिना सुने कब्जे का इन्द्राज हटा दिया है। अतः उन्होंने कब्जा इन्द्राज करने का अनुरोध किया। तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की और आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनाक 02–07–93 में यह निष्कर्ष निकाला कि मंदिर की वादग्रस्त भूमि पर पहले आवेदक के पिता का नाम कब्जाधारी दर्ज था। अब पिता की मृत्यु के बाद आवेदक उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। मौरूषी कृषक के हक आवेदक के पिता प्राप्त कर चुका था। सिविल न्यायालय ने भी आदेश दिनांक 19–02–90 को निर्देशित किया है कि आवेदक का कब्जा यथावत अंकित रहे। अतः तहसील न्यायालय व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक मदनसिंह एवं अनावेदक शम्भूसिंह पुत्रगण नाथूसिंह का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये।

3/ उक्त आदेश के पालन में पटवारी व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा खसरे के कॉलम नं0 4 में अंकित नहीं करते हुए कॉलम नं0 12 में दर्ज किये जाने से आवेदक व्दारा कब्जा खसरे के कॉलम नं0 4 में अंकित करने हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे तहसीलदार ने आदेश दिनांक 2–7–93 व्दारा खारिज किया।

4/ उक्त आदेश के विरूध्द मदनसिंह के वारिसान आवेदकगण व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 19–03–01 व्दारा खारिज की। व्दितीय अपील अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29–06–02 व्दारा खारिज की। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

5/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों के तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण के पूर्वाधिकारी के आधिपत्य की प्रविष्टि खसरे

के कॉलम नं0 4 में निरन्तर चली आ रही थी जिसे ग्राम पटवारी ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के विलोपित किया गया है। व्यवहार न्यायालय व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकों का कब्जा होना अपने निर्णय में निर्धारित किया है। उपकृषक के अधिकार आवेदकगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हैं। जो अधिकार नाथूसिंह को प्राप्त थे, वह उत्तराधिकार में आवेदकगण को प्राप्त हुए हैं जिसकी प्रविष्टि पूर्वानुसार कॉलम नं0 4 में की जाना चाहिये थी। खसरे के कॉलम नं0 12 में मात्र अवैध आधिपत्य की प्रविष्टि की जाती है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

6/ अनावेदक क0–1 एवं 2 के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि मंदिर पुख्ता श्री दाउजी बाके कस्वा श्योपुर के नाम दर्ज है। व्यवहार न्यायालय व्दारा भी अपने निर्णय में प्रश्नाधीन भूमि मंदिर की होने से शासकीय होना माना है। व्यवहार न्यायालय ने सिर्फ आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होना मान्य किया है, इस कारण खसरे के कॉलम नं0 12 में कब्जे का इन्द्राज करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

7/ तहसील न्यायालय में अभिलेख में उपलब्ध खसरा पंचसाला संवत 2034 से 2038 में प्रश्नाधीन भूमि मंदिर पुख्ता श्री दाउजी बाके कस्बा श्योपुर वअहतमाम पु0 बृजबिहारी आसान माधोलाल पालक मोहनलाल बाबा नि0 श्योपुर हाल अन्ता अन्नी दर्ज है तथा खसरे के कॉलम नं0 4 में नाथूसिंह पुत्र देवीसिंह जाति ठाकुर अंकित है। तहसील न्यायालय व्दारा पटवारी के कथन भी लिपिबध्द किया गया है जो तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 13 पर उपलब्ध है। पटवारी ने अपने कथन में प्रश्नाधीन भूमि मंदिर पुख्ता श्री दाउजी बाके कस्बा श्योपुर पुजारी बृजबिहारी आसान माधोलाल पालक मोहनलाल बाबा नि0 श्योपुर हाल अन्ता अन्नी माफी औकाफ प्रबन्धक कलेक्टर मुरैना अंकित होना तथा खसरे के कॉलम नं0 4 में नाथूसिंह का नाम मुद्दत जायद 12 साल अंकित होना बताया है। पटवारी के यह कथन में यह भी अंकित है कि नाथूसिंह फोत हो चुके हैं। मदनसिंह एवं शम्भूसिंह इनके दो पुत्र है। मुझे लगान दे रहे हैं और मौके पर यही लोग खेती कराते हैं। व्यवहार न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक

19–02–90 में मदनसिंह एवं शंभूसिंह का कब्जा होना मान्य किया है। तहसीलदार ने भी अपने आदेश दिनांक 02–07–93 की कण्डिका–3 में यह अंकित किया है कि –

" प्रस्तुत साक्ष्य व कथनों व प्रस्तुत अभिलेख से पाया गया कि मंदिर की वाद भूमि पर पहले आवेदक के पिता का नाम कब्जाधारी दर्ज था। अब पिता की मृत्यु के बाद आवेदक उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है जो मौरूषी कृषक का हक आवेदक के पिता को प्राप्त कर चुका था। सिविल न्यायालय ने भी आदेश दिनांक 19–2–90 को निर्देशित किया है कि आवेदक का कब्जा यथावत अंकित रहे।"

उक्त आदेश को साधारण पढ़ने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय व्दारा आवेदक के पिता का नाम कब्जाधारी अंकित होना मान्य करते हुए पूर्वानुसार आवेदक का कब्जा प्रश्नाधीन भूमि पर अंकित करने के आदेश दिये थे। चूँकि खसरा पंचसाला संवत 2034 से 2038 में आवेदक के पिता नाथूसिंह का नाम खसरे के कॉलम नं 4 में अंकित था, इसलिये तहसीलदार के आदेशानुसार प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम खसरे के कॉलम नं0 4 में अंकित करना चाहिये था, किन्तु पटवारी व्दारा उक्त आदेश के पालन में खसरा नं0 4 के स्थान पर कॉलम नं 12 में कब्जा दर्ज करने में त्रुटि की गयी और इस ओर अपीलीय न्यायालयों व्दारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29–06–02 तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण तथा अनावेदक क0–3 शंभूसिंह का नाम खसरे के कॉलम नं0 4 में अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,